न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा 223 RTA मु. नं0 12 वर्ष 2022

दिनांक	आज्ञा पत्र	
25-1-22	अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. / ~~धारा 5 मियाद~~ अधिनियम के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुये दर्ज रजिस्टर हो। वकील अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आगामी तारीख पेशी तक विचारण न्यायालय SDO खण्डेला द्वारा प्रकरण संख्या 25/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17-12-2021 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाती है एवं उभय पक्षों को विवादित भूमि के मौका एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है। रेस्पोडेन्ट के रजि. नोटिस जारी हो तहत की पत्रावली तलब हो। वास्ते तलबी दिनांक 18-2-22 को पेश हो। ह0 भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
3-2-22	अपीलांट के [illegible] पेश की गई। पत्रावली पेश। वकील अपीलांट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। ह0 भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	[illegible] मंजूर [illegible] पहचानकर्ता [illegible] 3/2/2022 ([illegible])